पत्र संख्या–१३/वि०मं०–५०/२०२४ सा०–429/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो० आफाक अहमद,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

पटना–१५, दिनांक – 14 नवम्बर, २०२४

विषय – मा० डॉ० संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक), स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के २०८ वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑनलाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०8/६४ के हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०८/६४ द्वारा इस विभाग के लॉगिन में प्राप्त है । आलोच्य प्रश्न की विषयवस्तु "राज्य सरकार के राज्य कर्मियों के साथ – साथ सभी कोटि के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा भी ६० वर्ष से ६२ वर्ष करने का विचार रखती है, से संबंधित है ।" उक्त प्रश्न की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अनुरोध है कि उक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर ससमय बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

अनु०–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

14/11/24

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–५०/२०२४ सा०–429/पटना–१५, दिनांक 14 नवम्बर २०२४

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के वेबसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०८/६४ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त तारांकित प्रश्न को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, पटना / मा० विभागीय प्रभारी मंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–५०/२०२४ सा०–429/पटना–१५, दिनांक 14 नवम्बर, २०२४

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

(1)

बिहार विधान परिषद् प्रश्न

Bihar Legislative Council

208 Winter Session

STARRED QUESTION

Starred D. No.
1/208/64

Received Date
30/10/2024

Notice of Admission sent on:
11/11/2024

Sent Date to Department
11/11/2024

Subject:	सेवानिवृत्ति की आयु सीमा
Member	Dr. Sanjeev Kumar Singh(Koshi Teacher)
Department	General Administration

क्या मंत्री, General Administation विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सही है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों को उनके कार्यानुभव एवं सुरक्षित भविष्य के आलोक में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य कर्मियों के साथ-साथ सभी कोटि के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा भी 60 वर्ष से 62 वर्ष करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न पीडीएफ है, इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

D. No.-3671/ग्रा०-17
12/11/2024